मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 15 फरवरी, 1999 (माघ 26, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

जिन सदस्यों ने शपथ नहीं ली है या प्रतिज्ञान नहीं किया है, वे शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगे:-

(क) क्रमांक एफ.1-4-97-बाईस-पं.-2, दिनांक 22 अगस्त, 1998,
(ख) क्रमांक एफ.1-23-98-बाईस-पं.-2, दिनांक 17 नवम्बर, 1998; तथा
(ग) क्रमांक एफ.1-24-98-बाईस-पं.-2, दिनांक 26 नवम्बर, 1998.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री श्याम होलानी, रघुनाथ चौधरी, बाबूलाल मालवीय, सदस्य, देवास, खण्डवा एवं उज्जैन जिलों में ओला वृष्टि से हुई क्षति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य, भिण्ड जिले की मालनपुर औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 3 घन्टे

श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) विधेयक, 1999 (क्रमांक 1 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

के.डी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 13 फरवरी, 1999